सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

[illegible] अधिकारी – दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

[illegible] संख्या – 29/18

[illegible] देवी पुत्री स्व. मिसरिया पत्नि स्व. श्री कालीचरन जाति लोधा निवासी नगला लोधा [illegible] निवासी चमरोली शमशावाद रोड आगरा तहसील व जिला आगरा (उ.प्र.)

———प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।
2. भगवान सिंह
3. घनश्यानसिंह
4. रामा

पिसरान मिसरिया जाति लोधा तहसील व जिला भरतपुर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति – 1. श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर अप्रार्थी
3. श्री जितेन्द्रसिंह अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4

दिनांक : 19.02.2021

निर्णय

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.18 को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के काश्तकारत की हाल आराजी साबित खसरा नम्बर 1097/0.26, 1098/0.25, 1142/0.72, 1095/0.34 है0 कुल रकवा 1.57 है0 ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर एवं आराजी खसरा नम्बरान 359/0.22, 421/0.09, 475/0.32, 476/0.19 कुल 0.82 है0 ग्राम नगला लोधा पटवार हल्का मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीया 1/5 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी पेश है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीया उसके भाईयों अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं बहिन अप्रार्थी संख्या 4 की पैतृक है। प्रार्थीया परिवार में सबसे छोटी है इसलिये प्रार्थीया के माता पिता एवं भाई एवं पडोसी उसके सही नाम भगवान देवी से न बुलाकर बोलते नाम लोहरी के नाम से पुकारते थे जबकि स्व. श्री मिसरिया की लौहरी/लाहोरी नाम की कोई पुत्री नहीं है। प्रार्थीया के दो भाई भगवानसिंह एवं घनश्याम एवं एक बहिन श्रीमति रामा है। इनके अलावा उसके

Dw

नम्बर व [illegible]
अहकाम [illegible]
हुक्म की [illegible]
में जारी [illegible]

[illegible] हैक्टेयर कुल रकवा 1.57

पिता की कोई संतान नहीं है। राजस्व कर्मचारियों में सहवन भूल से नामान्तकरण आदेश में उसके सही नाम भगवानदेवी के स्थान पर बोलते नाम लौहरी/लाहोरी अंकित कर दिया है। जिससे राजस्व रिकार्ड में ग्राम नौंह पटवार हल्का नौंह में लाहोरी पुत्री मिसरिया एवं नगला लोधा पटवार हल्का मडरपुर में लौहरी पुत्री मिसरिया अंकित हो गया है। जिससे प्रार्थिया को सहकारी सुविधाओं एवं पैतृक सम्पति से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीया की शादी श्री कालीचरन निवासी चमरोली शामशावाद रोड आगरा उ.प्र. में हुई है। प्रार्थीया के आधार कार्ड में भी प्रार्थीया का नाम भगवानदेवी अंकित है। अंत में प्रार्थी ने यह निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम लौहरी/लाहोरी के स्थान पर भगवानदेवी अंकित किया जावे।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण 2, 3, 4 ने दिनांक 19.08.2019 को जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर यह निवेदन किया है कि प्रार्थीया के हक में आराजी की दुरूस्ती किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

3. अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक10.06.2019 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया है कि वादीगणों का कथन असत्य है। नामान्तकरण प्रक्रिया ग्राम पंचायत कोरम द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपना कर निर्णीत किया जाताहै। चूंकि नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 28.05.1992 से वादी का नाम लाहोरी दर्ज रिकार्ड हुआ है। अतः नाम शुद्धि हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 के तहत क्षेत्राधिकार से बाहर है। नाम शुद्धि हेतु उक्त नामान्तकरण की सक्षम न्यायालय में अपील कर नाम शुद्ध किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक स्तर पर खारिज योग्य है।

4. प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2071–74 ग्राम नगला लोधा, नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2071–74 ग्राम नौंह, सरपंच ग्राम पंचायत मडरपुर का पत्र दिनांक 16.10.18, आधार कार्ड भगवान देवी की फोटो प्रति पेश की।

5. नामान्तकरण के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी की विवादित आराजी ग्राम नौंह एवं ग्राम नकला लोधा में स्थित है। प्रार्थीया के पिता के स्वर्गवास के वाद विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय तहसीलदार भरतपुर प्रार्थीया को कोई सूचना दिये बगैर नामान्तकरण में

ग्राम नौंह की आराजी में प्रार्थीया का नाम लाहोरी एवं ग्राम नगला लौधा की आराजी में लौहरी अकित कर दिया गया । प्रार्थीया के परिवार में वह सबसे छोटी होने के कारण घर पर लौहरी/लाहोरी के नाम से पुकराते है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम भगवानदेवी है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम लौहरी/लाहोरी के स्थान पर भगवानदेवी अंकित किया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 जो कि प्रार्थी के भाई है। उनके अभिभाषक ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम लौहरी/लाहोरी के स्थान पर भगवानदेवी किये जाने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने अपनी बहस में अवगत कराया कि नामान्तकरण सं. 153 दिनांक 28.05.1992 से प्रार्थी का नाम लाहोरी/लौहरी दर्ज रिकार्ड हुआ है। अतः नाम शुद्धि हेतु उक्त नामान्तकरण की सक्षम न्यायालय में अपील कर नाम शुद्ध किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी परिवार में सबसे छोटी होने के कारण घर पर लाहोरी/लौहरी नाम से पुकारते थे। प्रार्थी का नाम लाहोरी/लौहरी के स्थान पर भगवानदेवी किये जाने हेतु प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 द्वारा अपनी सहमति दी गई है। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम भगवानदेवी है। सरपंच ग्राम पंचायत मडरपुर ने अपने पत्र दिनांक 16.10.18 से अवगत कराया कि भगवानदेवी परिवार में सबसे छोटी होने के कारण उसको लाहोरी/लौहरी के नाम से घर पर पुकारते थे। लौहरी/लाहोरी का असली नाम भगवानदेवी है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम भगवानदेवी है।

8. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भरतपुर ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि गलत नाम नामान्तकरण में दर्ज किया गया है। इसलिए प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में नामान्तकरण की अपील कर अपना नाम शुद्ध कराना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 2019 पेज नं. 758 उनवान दूल्हा खान बनाम राज. सरकार के अनुसार अपीलार्थी का नाम उसके पिता की मृत्यु पर विरासत के नामान्तकरण संख्या 132 में उसका नाम इंसाफ अली के बजाय दुल्ला खॉ दर्ज होने भी पत्रावली को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लेकिन परीक्षण न्यायालय ने इसे लिपिकीय त्रुटि नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय में निम्नानुसार अंकित किया है-

"चूंकि यह मामला धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संधारणीय है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में धारा 136 के क्षेत्राधिकार में सिर्फ लिपिकीय त्रुटि को सुधार किये जाने का प्रावधान मात्र होना मानने की गलती की है। बल्कि अन्य ऐरर जो राजस्व अभिलेख में कारित किये गये हों, को भी सुधारने का क्षेत्राधिकारी धारा 136 के अन्तर्गत प्रावधित है, जैसा कि 2015 (2) आर. अर.टी. पेज 961 के न्यायिक दृष्टान्त में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, को नजर अंदाज किया गया है, जो कि एक विधिक एवं क्षेत्राधिकार संबंधति त्रुटि है।"

उपरोक्त नजीर को दृष्टिगत रखते हुए मैं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भरतपुर के कथन से सहमत नहीं हूँ। अतः इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का सही नाम भगवानदेवी है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम नौह में खाता नं. 496 के आराजी खसरा नं. 1095, 1097, 1098, 1142 में लाहोरी के स्थान पर भगवानदेवी एवं ग्राम नगला लोधा में खाता नं. 233 के आराजी खसरा नं. 359, 421, 475, 476 में लौहरी के स्थान पर भगवानदेवी दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार भरतपुर को पालना हेतु कैफियत भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर